

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

बनास विहार आवासीय योजना, टोंक
में उपलब्ध सम्पत्ति की मोहरबन्द प्रस्ताव द्वारा भव्य नीलामी
माह मार्च-2016

प्रारंभ तिथि 28/03/2016 मोहरबन्द प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/03/2016 समय प्रातः 11:00
बजे तक उपखण्ड कार्यालय, रा0आ0मं0, टोंक में एवं मोहरबन्द प्रस्ताव खोलने की तिथि 30/03/2016 समय दोपहर
12:00 बजे राजस्थान आवासन मण्डल उपखण्ड कार्यालय, बनास विहार, टोंक में

क्र. सं.	सेक्टर	आवासीय भूखण्ड संख्या	कॉर्नर / सामान्य	क्षेत्रफल वर्ग मीटर	न्यूनतम बोलीदर (MBP) राशि रू. प्रति वर्ग मीटर	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि रू.	सम्पत्ति हेतु आरक्षित वर्ग
1	3	3/72 B	सामान्य	42.187	16000.00	33750.00	-
2	3	3/276	सामान्य	42.187	16000.00	33750.00	-

बिड दाताओं द्वारा नीलामी बोली में बिड प्रस्तुत करने हेतु बिड आवेदन पत्र मय नीलामी बोली की शर्तों के विस्तृत विवरण, निम्नलिखित संबंधित खण्ड कार्यालयों से किसी भी कार्य दिवस में अथवा मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

- : सम्पर्क सूत्र :-

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तेरह सैक्टर-04, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर 0141-2973963	परियोजना अभियन्ता (वरि0), उपखण्ड-टोंक
---	--

उप आवासन आयुक्त,
वृत्त-तृतीय, जयपुर।

लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप

1) सम्पत्ति का विवरण :

(अ) योजना का नाम सैक्टर.....

(ब) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/ निर्मित आवास/ निर्मित दुकान/ निर्मित भवन/कियोस्क संख्या..... (जो लागू ना हो उसे काट दें।)

2) बिड दाता का नाम :.....

3) श्रेणी-सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति :.....

4) संलग्न अमानत राशि रूपये..... (डी0डी0/बैंकर चैक)
संख्या.....दिनांक..... जारीकर्ता बैंक का नाम.....

5) मुहरबंद बिड खोलने की निर्धारित तिथि :.....

बिडदाता के हस्ताक्षर

बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप

बिडदाता का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

- 1) बिडदाता का नाम :.....
- 2) पिता/पति का नाम :.....
- 3) सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :.....
(अ0जा0/ज0जा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 4) पता
..... (प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
- 5) पेन नम्बर..... (पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 6) दूरभाष मोबाईल नं0.....
- 7) अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण :-
(अ) योजना का नाम..... सैक्टर.....
(ब) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित कियोस्क/निर्मित भवन (जो लागू न हो उसे काट दें।)

संख्या.....माप..... के लिए न्यूनतम बिड मूल्य अनुसार अमानत राशि रुपये.....
की डी0डी0/बैंकर चैक संख्या..... दिनांक..... जारीकर्ता बैंक का नाम.....
..... संलग्न है।

नीलामी की शर्त :-

1. नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को --"राशि रु 10 करोड से कम मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 30.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रूपये 10 करोड एवं अधिक मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोली दाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुए 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जप्त कर ली जावेगी ओर बोली स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
4. बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि/समय के पश्चात प्राप्त हुए मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है तो ऐसे सशर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. बिडदाता द्वारा परिसम्पत्ति की अंकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर/राशि में अन्तर होने पर शब्दों में उल्लेखित बिड दर/राशि ही मान्य होगी।
7. किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
8. आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन/कियोस्क "जहाँ है जैसा है" के आधार पर निस्तारित किये जायेगें।
9. आवासीय भूखण्ड/ व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन/कियोस्क का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अन्तिम होगा एवं तदानुसार ही गणना की जावेगी।
10. किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मुहरबन्द बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जो कि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के संबंध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा।
11. आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास के लिए लीज मनी की राशि आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान के लिए भूमि की आरक्षित दर की 5.0 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त रूप से देय होगी।
12. आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1042/379 दिनांक 23.09.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।
13. बिड के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय समय पर किये गये संशोधन/संवर्धन मान्य होंगें।

14. नीलामी के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं विवरण मेरे द्वारा मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर ली गई है।
15. आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्ग मीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरित यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एक मुश्त कीमत बिड में भरी जाती है तो ऐसी स्थिति में अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से एक मुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्ग मीटर दर निकाली जायेगी।
16. सीलबन्द निविदा के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जायेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मुख्यालय को भेजेगी, जिस पर अन्तिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा।
17. सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार वसूलनीय होंगे।

मुहरबंद प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया :- 1. नीलामी में सम्पत्ति क़य करने के इच्छुक क्रेता अपने प्रस्ताव क़य राशि दर्शाते हुए मुहरबंद निर्धारित प्रपत्र में भरकर बंद कर लिफाफे में संबंधित कार्यालय में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेंगे। लिफाफे पर जिस सम्पत्ति हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका विवरण/नम्बर स्पष्ट लिखना एवं प्रस्ताव प्रपत्र पर आवेदन कर्ता का पासपोर्ट साईज फोटो नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर लगाया जाना आवश्यक है। 2. क्रेता को उपरोक्त सारिणी में वर्णित अमानत राशि का ड्राफ्ट जो "राजस्थान आवासन मण्डल", टोंक के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

उद्घोषणा

मैं/हम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... बिडदाता आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन/कियोस्क संख्या.....
.. योजना का नाम..... सैक्टर.....घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैंने/हमने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त नीलामी हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त नीलामी संबंधी नियमों/विनियमों/शर्तों एवं उनमें समय-समय पर किये गये संशोधनों/संवर्द्धनों को भली भांति समझ लिया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम दर होने पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने के परिणामस्वरूप, मुझे / हमें नीलामी स्वीकृति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नीलामी बोली मण्डल के सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कर दी जाती है एवं इस संबंध में मैं/हम कोई विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा/करुंगी/करेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

बिड प्रस्ताव

मैं/हम आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन/कियोस्क संख्या..... योजना का नाम..... सैक्टर.....के लिए अपनी/हमारी बिड दर रूपये (अंकों में)..... (शब्दों में रूपये.....
.....) प्रति वर्ग मीटर/प्रति आवास/प्रति दुकान/प्रति भवन प्रस्तुत करता/करती/करते हैं।
(जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर बोलीदाता